(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः- श्री एस0एस0अली
सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 0421/2019/मंदसौर/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18.03.2019 के द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 196/2018-19

भंवरलाल पुत्र श्री अम्बाराम भील
निवासी- लखमाखेडी तहसील दलोदा जिला - मंदसौर (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1 रमेशचन्द्र पुत्र श्री बगदीराम माली
निवासी - डिगावमाली तहसील व जिला - मंदसौर म.प्र.
2 विनोद कुमार पुत्र श्री मदनलाल शर्मा
निवासी - दलोदा चौपाटी तहसील दलौदा जिला - मंदसौर म.प्र.
3 मुकेश पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा
निवासी - अभिनंदन नगर मंदसौर जिला - मंदसौर म.प्र.

-- प्रत्यर्थीगण

श्री के0के0 द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजीव शर्मा शासकीय अभिभाषक ---- प्रत्यर्थी

आदेश

(आदेश दिनांक 01-04-2019 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 196/2018-19 अपील में पारित आदेश दिनांक

18.03.2019 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 165 (6) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लखमाखेडी तहसील दलौदा जिला मंदसौर स्थित भूमि सर्वे नं. 464 रकवा 0.14 है0, सर्वे नं. 166/3/2 रकवा 0.10 है0 भूमि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 विनोद कुमार शर्मा तथा सर्वे नं. 166/3/2 में से रकवा 0.10 है0 भूमि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 मुकेश शर्मा को ओर सर्वे नं. 472 रकवा 0.15 है0, सर्वे नं. 166/3/2 में से रकवा 0.20 है0 भूमि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 रमेश चन्द्र को विक्रय करने की अनुमति चाही गयी। अपीलार्थी के द्वारा उक्त भूमि राशि रूपये 12.60 लाख में प्रत्यर्थीगण को विक्रय किये जाने का उल्लेख आवेदन पत्र में करते हुये अग्रिम राशि रूपये 60,000 प्राप्त किया जाना उल्लेखित किया है अपीलार्थी द्वारा उसकी पत्नी के नाम से ग्राम लखमाखेडी तहसील दलौदा जिला मंदसौर स्थित भूमि सर्वे नं. 309 रकवा 0.710 है0 स्थित होना बताया जाकर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने तथा कुॅए को गहरा करवाकर सिचिंत बनाने हेतु और मिट्टी डलवाने के लिये अनुमति चाही है शेष बची राशि का उपयोग अपीलार्थी के परिवार के उपयोग एवं उपभोग एवं निवास हेतु भवन व भूमि सुधार हेतु खर्च किये जाने का उल्लेख किया गया। आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे संहिता की धारा 165 (6) के तहत् प्रश्नाधीन भूमि के

विक्रय की अनुमति दी जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.11.2018 से आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को प्रस्तुत की गयी। जो आदेश दिनांक 18.03.2019 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– कलेक्टर जिला मंदसौर ने आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त किया है, कि ग्राम लखमाखेडी तहसील दलौदा की सम्पूर्ण भूमि कुल रकवा 0.69 है0 प्रत्यर्थीगण को विक्रय कर उसकी पत्नी के नाम ग्राम लखमाखेडी में स्थित कुल भूमि रकवा 0.710 है0 को उपजाऊ बनाने, कुआॅ गहरा करवाने, मिट्टी डलवाने आदि कारणो से भूमि विक्रय किये जाने का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिस भूमि का विक्रय किया जा रहा है वह भी सिचिंत भूमि है एवं उसकी पत्नी के नाम दर्ज भूमि भी सिंचित भूमि है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपने नाम की भूमि विक्रय कर पत्नी के नाम पर दर्ज भूमि उपजाऊ बनाने कुआॅ खुदवाने तथा मिट्टी डलवाने संबंधी तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते इस संबंध में तहसीलदार तहसील दलौदा द्वारा विधिवत् जांच की गयी है एवं अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.05.2018 प्रस्तुत किया था। जिसमें बताया है कि अपीलार्थी अपने स्वत्व स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि

भूमि को विक्रय कर रहा है, यह भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नही है और ना ही किसी शासकीय प्रयोजन के लिये सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति दी जा सकती है। तथा अपीलार्थी अपनी पत्नी के नाम स्थित भूमि जो कि असिंचित है को कृषि उपयोगी बनाकर अधिक से अधिक कृषि लाभ प्राप्त करना चाहता है। उपरोक्त प्रतिवेदन की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गयी है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि भूमि शासकीय नही है और ना पट्टे की भूमि है। तथा शासन के इसी प्रयोजन के लिये सुरक्षित भी नहीं है उपरोक्त स्थितियो पर विधिवत् विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित किये गये है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 196/2018-19 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.03.2019 एवं कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/अ-21/2018-19 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2018 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव अपीलार्थी को ग्राम लखमाखेडी तहसील दलौदा जिला मंदसौर स्थित भूमि सर्वे नं. 464 रकवा 0.14 है0, सर्वे नं. 166/3/2 रकवा 0.10 है0 भूमि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 विनोद कुमार शर्मा तथा सर्वे नं. 166/3/2 में से रकवा 0.10 है0 भूमि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 मुकेश शर्मा को ओर सर्वे नं. 472 रकवा 0.15

है0, सर्वे नं. 166/3/2 में से रकवा 0.20 है0 प्रत्यर्थी क्रमांक 1 रमेश चन्द्र को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है। कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करे कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व अनुबंध के समय दी गयी अग्रिम राशि को कम करके) बैंक चेंक/बैंक ड्राफ्ट/नेंट बेंकिग से अपीलार्थी के खाते में जमा की जावेगी परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर